न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 175 /2021

उनवान

मोहन पिता रूघा मीणा निवासी खेड़ी खुर्द तहसील शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

1– उगमा पिता मांगू मीणा निवासी खेड़ी खुर्द
2– चान्दू पुत्र रूघा मीणा निवासी खेड़ी खुर्द
3– नाबालिग राजेन्द्र पुत्र दूदा संरक्षक सरपरस्त माता सीता देवी मीणा निवासी खेड़ी खुर्द
4– नाबालिग रिंकू पुत्री दूदा संरक्षक सरपरस्त माता सीता देवी मीणा निवासी खेड़ी खुर्द
5– लादी पुत्री रूपा मीणा निवासी खेड़ी खुर्द
6– सीता देवी पत्नी दूदा मीणा निवासी खेड़ी खुर्द
7– नाबालिग सोनिया पुत्री दूदा संरक्षक सरपरस्त माता सीता देवी मीणा निवासी खेड़ी खुर्द
8– देवनारायण की डोहली जरिये पुजारी मगना पिता धूकल गुर्जर निवासी सालरिया खुर्द
9– देबी पिता मांगू जाट निवासी खेड़ी खुर्द
10– भेरू पिता उदा जाट निवासी खेड़ी खुर्द

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री कैलाश चन्द्र सुवालका
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 06/06/2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **खेड़ी खुर्द** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 318 रकबा 0.68 है0, 319 रकबा 0.47 है0, 320 रकबा 0.31 है0, 322 रकबा 0.31 है0, 606 रकबा 0:27 है0, 849/609 रकबा 0.21 है0** कुल किता 6 रकबा 2.25 हैक्टेयर के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता, रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4, 6 लगायत 10** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 5** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थी के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम खेड़ी खुर्द संवत 2075 से 2078** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थी के खातेदार में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः **प्रार्थी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **खेड़ी खुर्द** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त **खातेदार** की आराजीयात् किता **6 रकबा 2.25 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 1000 रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **06/06/2022** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा